न्यायालय लेण्डरिकोर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी – चन्द्रशेखर भण्डारी आर.ए.एस)

प्रकरण संख्याः– 03 / 2019

दायर दिनांकः– 08 / 01 / 2019

निर्णय दिनांकः– 16 / 07 / 2019

अनवान

1. रतनलाल पिता देवजी जाट निवासी कुण्डिया तह0 रेलमगरा
2. शंकरी पिता देवजी जाट निवासी कुण्डिया तह0 रेलमगरा
3. नेसी पिता देवजी जाट निवासी कुण्डिया तह0 रेलमगरा
4. ईश्वरबाई पत्नि देवजी जाट निवासी कुण्डिया तह0 रेलमगरा
5. पारसी देवी पत्नि मोहनलाल जाट निवासी कुण्डिया तह0 रेलमगरा
6. शांतिलाल पिता मांगीलाल जाट निवासी कुण्डिया तह0 रेलमगरा
7. कमला पत्नि मांगीलाल जाट निवासी कुण्डिया तह0 रेलमगरा
8. रानु देवी पिता अम्बालाल जाट निवासी कुण्डिया तह0 रेलमगरा

प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपीलाल पिता देवजी जाट निवासी कुण्डिया तह0 रेलमगरा
2. गोवर्धनलाल पिता देवजी जाट निवासी कुण्डिया तह0 रेलमगरा
3. बक्षु पिता रामा जाट निवासी कुण्डिया तह0 रेलमगरा
4. गोटुलाल पिता गोर्धनलाल जाट निवासी कुण्डिया तह0 रेलमगरा
5. सोनी पिता नाथु जाट निवासी कुण्डिया तह0 रेलमगरा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 भू राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम कुण्डिया तहसील रेलमगरा में स्थित आराजी संख्या 1345 रकबा 11–13 बिघा जो कि प्रार्थीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित है। तथा उक्त आराजीयात के दक्षिण दिशा की और विपक्षीगण की आराजी संख्या 1343 स्थित है। नकल जमाबंदी व नक्शाट्रेस साथ संलग्न है प्रार्थीगण के स्वामित्व की आराजी व विपक्षीगण की आराजीयात के बीच किसी प्रकार का कोई

सहायक कलक्टर

सीमाकंन चिन्ह अंकित स्थाई रूप से अंकित नहीं है न ही मौके पर विद्यमान है जिससे प्रार्थी विपक्षी के बीच सीमा को लेकर हमेशा विवाद होने की आशंका बनी रहती है। जिससे प्रार्थीगण अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी व विपक्षी की आराजी के बीच स्थाई रूप से सीमाकंन के रूप से पत्थरगडडी करवाना चाहता है ताकि भविष्य में कभी भी सीमा सम्बंधित विवाद नहीं हो। इस बाबत् यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की और से प्रस्तुत किया जा रहा है तथा आराजी संख्या 1543 भी प्रार्थीगण के पूर्वज देवजी के नाम पर दर्ज थी जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1345 एवं विपक्षीगण की आराजी संख्या 1343 के बीच किसी प्रकार की सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षी आये दिन सीमा सम्बंधित विवाद करता रहता है जिस बाबत प्रार्थीगण पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 26.10.2017 को पटवारी हल्का कुण्डिया द्वारा खातेदारो के बीच विवाद होने के कारण सीमा जानकारी नहीं करना अंकित कर प्रार्थना पत्र वापस लौटा दिया गया, जिससे मौके पर सीमा जानकारी नहीं की गई तथा उनके द्वारा पत्थरगढी कराने हेतु कहा गया जिस बाबत् प्रार्थीगण द्वारा अब विवश होकर उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय आप में प्रस्तुत करना पड रहा है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी संख्या 1345 व विपक्षीगण की आराजी संख्या 1343 के बीच की सीमा के बीच पत्थरगढी कराने का आदेश तहसीलदार साहब रेलमगरा के नाम फरमाया जावे। खर्चा नियमानुसार जमा कराने हेतु तैयार है।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया विपक्षी बावजुद सुचना तामिल के अनुपस्थित रहने से पत्रावली पर एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सूनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने का हक अधिकार निहित है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम कुण्डिया स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

संख्या 1345 व विपक्षीगण की आराजी संख्या 1343 के मध्य पत्थर गडडी किये हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगडडी की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16/07/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

16/7/19

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
लैण्ड रेकार्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा